



दिनांक आज्ञा पत्र

11-12-19 वकील अपीलान्त उपो/रेसपो सं-1,5,
16 के नोटिस पुनः पेश करने/पेश करने पर
प्रावी हो/प्रावली दिनांक 29-1-20 को
पेश हो।
अन

29-1-20 कर-कर आवज दिहाई गई
अपील एवं अपीलान्त के
वकील कोई हाजिर नहीं
कामे। अतः कदम हाज की
एवं कदम प्ररवी साकेत
होने से अपील स्वामित्त
को जाती है।

प्रावली नम्बर से
काम है।
निर्णय सुनाया गया।
अन



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अधिकारी
सीकर- (केन्द्रीय मुद्रा)